मेरठ विकास प्राधिकरण

की

111वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 12—09—2018 का कार्यवृत्त

विकास प्राधिकरण बोर्ड की 111वीं बैठक दिनांक 12—09—2018 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 111वीं बैठक सभागार—मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 12—09—2018 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:—

1.	श्री साहब सिंह	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री अनिल ढींगरा,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्री काली विभूति शुक्ला,	सहयुक्त नियोजक, मेरठ मण्डल, मेरठ प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ मुख्यालय, लखनऊ।	सदस्य।
4.	श्री मनोज कुमार चौहान	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
5.	श्री अतुल कुमार सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि—विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग—8, लखनऊ।	सदस्य।
6.	श्री एस0पी0एन0 सिंह,	अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य।
7.	श्री उदयी राम	अपर निदेशक उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

8.	श्री जे0के0गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य।
9.	श्री के0पी0सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, मेरठ।	सदस्य।
10.	श्री एस0सी0गौड	चीप कोर्डिनेटर प्लानर, एन0सी0आर0 गाजियाबाद।	सदस्य।
11.	श्री राज कुमार,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक/सदस्य।

110वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15–02–2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 15–02–2018 को सम्पन्न 110वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 107वी बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 में मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के निर्णय पर अनुपालन–

बिन्दु सं0	प्रकरण	प्रस्तुत अनुपालन आख्या	दिया गया निर्देश
4	प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से तेजगढी चौराहा, हापुड अडडा चौराहा, बेगमपुल चौराहा व एच0आर0एस0 चौराहा के निर्माण कार्यो के स्थल निरीक्षण हेतु	मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न/सम्बन्धित विभागों की बैठक दिनांक 26–03–2018 को आहूत की गयी। **बैठक में सुझाये गये प्रस्तावों का क्रियान्वयन वर्तमान परिपेक्ष्य में मेट्रो/आर0आर0टी0एस0 प्रस्तावित होने के कारण नहीं किया जा रहा है,** क्योंकि कार्य कराये जाने पर जो व्यय होगा वह मेट्रो/ आर0आर0टी0एस0 के क्रियान्वयन से व्यर्थ होने की सम्भावना है। इसके	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा चर्चा उपरान्त मा0 बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव को Drop किये जाने के निर्देश दिये गये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

	प्राणिकरण बोर्ड द्वारा समिति गठित करने का निर्देश दिया गया तथा यह भी निर्देश दिया गया कि उक्त कार्यो का समिति के निरीक्षण तक अवशेष भुगतान की कार्यवाही स्थगित रखा जाय।	अतिरिक्त तेजगढ़ी चौराहे पर फ्लाई ओवर/मेट्रो का निर्माण भी प्रस्तावित है तथा हापुड अड्डे पर भी मेट्रो के साथ ही फ्लाई ओवर का निर्माण प्रस्तावित है। इस हेतु **मा0 मण्डलायुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक आयोजित कर, प्रस्ताव यू0पी0 मेट्रो को भेजा जा चुका है।**	

108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–12–2016 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	प्रकरण	प्रस्तुत अनुपालन आख्या	दिया गया निर्देश
मद सं0 07	पल्लवपुरम फेस–द्वितीय योजनान्र्तगत भूखण्ड संख्या केपी–11 स्थित स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर किये गये अनधिकृत निर्माण के शमन के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में **आवेदक का शमन मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया है।**	अनुपालन आख्या अवलोकित। अनुपालन हो चुका है।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0 15	शताब्दीनगर आवासीय योजना सैक्टर–2 मे निर्माणाधीन उपाध्यक्ष आवास के निर्माण कार्य को उसकी लागत, भविष्य मे होने वाले सम्भावित रखरखाव पर होने वाले अत्याधिक व्यय एवं वर्तमान मे निर्माणाधीन भवन की उपयोगिता आदि को दृष्टिगत रखते हुए निर्माणाधीन कार्य को इसी स्तर पर रोकने एवं निर्माणाधीन भवन का कालान्तर मे यथा–उपयोग करने/नीलामी द्वारा विक्रय करने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत सम्पत्ति के निस्तारण हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए, **निविदा–सह–नीलामी हेतु दिनांक 12–03–2018 की तिथि निर्धारित की गयी थी, परन्तु इसे क्रय किये जाने हेतु कोई भी आवेदक उपस्थित नहीं हुआ।** इसके निस्तारण के पुनः प्रयास किये जा रहे हैं। मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में गठित समिति के सदस्य अपर आयुक्त–श्री राधेश्याम मिश्रा का स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नये सदस्य को नामित किया जाना अपेक्षित है।	अनुपालन आख्या का संज्ञान लेकर मा0 बोर्ड द्वारा समिति सदस्य का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप समिति सदस्य हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गये। शताब्दीनगर योजना प्राधिकरण की बृहद योजना है तथा अर्द्धनिर्मित आवास का क्षेत्रफल लगभग एक एकड़ है। समिति स्थल निरीक्षण करके यह सुझाव दे कि इस आवास का वैकल्पिक उपयोग के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करें।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

प्राधिकरण की 108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–12–2016 में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के निर्णय पर अनुपालन–

1.	प्राधिकरण बोर्ड सदस्य श्री परमिन्दर इशू द्वारा प्राधिकरण योजनाओं की एस0टी0पी0 बन्द रहने का तथ्य संज्ञान में लाया गया जिस पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण बोर्ड के नामित/गैर सरकारी सदस्यों के साथ प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत सभी एस0टी0पी0 का संयुक्त निरीक्षण करा दिया जाय।	मा0 बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05–04–2018 को **उ0प्र0 जल निगम, मेरठ को रू0 1.00 लाख का भुगतान कर दिया गया है।** जल निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। जल निगम द्वारा प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया जाना है, आवश्यक आँकड़े उपलब्ध करा दिये गये है।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या के अवलोकन किया गया तथा चर्चा उपरान्त जल निगम, नगर निगम, प्राधिकरण एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित करने के निर्देश दिये गये। समिति इसका तकनीकी एवं पर्यावरण की दृष्टि से पुनः परीक्षण कर बोर्ड के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।

109वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25–07–2017 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

मद सं0	विषयक	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश
मद सं0–02	मै0 एम0एल0 एग्रीटैक द्वारा श्रीमती नीना गर्ग एवं श्री पंकज गर्ग, ग्राम बटजेवरा, सरधना रोड़, जिला मेरठ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में **आवेदक से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर मानचित्र निर्गत कर दिया गया।** बाह्य विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण के पत्र संख्या–611/मान0अनु0/जोन बी दि0	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी एवं निर्देश दिये गये कि शासन से यथाशीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही की जाय।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

	में।	24–03–2018, अनुस्मारक पत्रांक 1201/मान0 अनु0/जोन बी दिनांक 21–05–2018 एवं पत्रांक 165/एटीपी/2018 दिनांक 26–05–2018, पत्रांक 1223/मान0 अनु0/जोन बी दि0–04–07–2018 को **शासन को पत्र प्रेषित किये गये है, परन्तु अभी तक कोई मार्गदर्शन प्राप्त नही हुआ है।** आवेदक को भी बा0वि0शुल्क जमा कराने हेतु पत्र भेजे गये परन्तु आज तक **विकासकर्ता द्वारा शुल्क जमा नही कराया गया।**	
मद सं0–06	मैसर्स प्रसन्दी स्किल्ड टैक प्रा0लि0 द्वारा श्री विजय पाल यादव एन0एच0–58 स्थित ग्रीन वर्ज क्षेत्र में सी0एन0जी0 पम्प स्थापित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में आवेदक से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर मानचित्र निर्गत कर दिया गया। प्रभाव शुल्क हेतु पत्रांक 1035/मान0अनु0 दि0 01–11–2017 व अनुस्मारक पत्रांक 291/18/ मान0अनु0 जोन–बी दि0–22–02–18 को शासन को प्रेषित किये गये है परन्तु अभी तक कोई मार्गदर्शन प्राप्त नही है। **आवेदक को भी प्रभाव शुल्क जमा करने हेतु भी पत्र प्रेषित किये गये। परन्तु आज तक विकासकर्ता द्वारा शुल्क जमा नहीं कराया**	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी एवं निर्देश दिये गये कि शासन से यथाशीघ्र मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही की जाय।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

		गया। शासन स्तर पर बैठक की जा चुकी है।	

110वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15—02—2017 में में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय—

मद सं0	विषयक	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश
मद सं0 01	वित्तीय वर्ष 2017—18 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2018—19 का प्रस्तावित आय—व्ययक।	माननीय बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में **"वित्तीय वर्ष 2017—18 का वास्तविक तथा वित्तीय वर्ष 2018—19 का अनुमोदित आय—व्ययक् एक दृष्टि में" प्रस्ताव मद सं0 01 पर माननीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**	अनुपालन आख्या अवलोकित।
मद सं0 02	109वीं बोर्ड बैठक द्वारा विभिन्न श्रेणी की आवंटित सम्पत्तियों की किश्तों पर दिनांक 01.08.2017 से संशोधित की गई ब्याज दरों के **स्पष्टीकरण** के सम्बन्ध में।	1. मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है। 2. ओ0टी0एस0 की योजना प्राप्त होने पर तद्नुसार आवंटियों को लाभ दिया जा सकेगा।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0 03	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन कर लिया गया है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
मद सं0 04	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूमि की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा अनुमोदित आवासीय दरें प्राधिकरण की योजनाओं में लागू कर दी गयी है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
मद सं0 05	मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर आवासीय योजना के सेक्टर 6 पार्ट–2 के पॉकेट बी स्थित शैक्षिक भूखण्ड सं0 NS/PS क्षेत्रफल 6000.00 वर्ग मीटर के सापेक्ष जमा धनराशि के वापसी की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन हो चुका है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
मद सं0 06	यू0पी0पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 के पक्ष में डिफेन्स एन्कलेव योजना के पॉकेट बी में स्थित व्यवसायिक कम आवासीय	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित भूखण्डों का विक्रय विलेख यू0पी0पूर्व सैनिक कल्याण निगम के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा विक्रय विलेख के पंजीयन पश्चात्	अनुपालन आख्या अवलोकित। अनुपालन हो चुका है।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

	श्रेणी के भूखण्ड सं0 बीसी–28, क्षेत्रफल 252.00 वर्ग मीटर व भूखण्ड सं0 बीसी–29, क्षेत्रफल 294.00 वर्ग मीटर के आवंटन का प्रस्ताव।	भूखण्डों का कब्जा हस्तगत किया जा चुका है।	
मद सं0 07	प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का स्थल पर विकास न हो पाने अथवा आवंटन पश्चात किसी विवाद के कारण कब्जा न दे पाने की स्थिति में भूखण्ड के आवंटन का एक योजना से अन्य योजना में उपलब्ध फ्लैटस में समायोजन।	शासन से मार्ग निर्देशन माँगा गया है। तद्नुसार आगामी बोर्ड बैठक में रखा जायेगा।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
मद सं0 08	प्राधिकरण द्वारा आवंटित आवासीय भूखण्ड का स्थल पर विकास न हो पाने अथवा आवंटन पश्चात किसी विवाद के कारण	शासन से मार्ग निर्देशन माँगा गया है। तद्नुसार आगामी बोर्ड बैठक में रखा जायेगा।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

	कब्जा न दे पाने की स्थिति में ऐसे अविकसित/ विवादित/अनुपलब्ध आवासीय भूखण्ड के आवंटन को एक योजना से अन्य योजना में विकसित आवासीय भूखण्ड में परिवर्तन/समायोजन किये जाने हेतु मा0 बोर्ड की अनुमति से शासन को सन्दर्भित किये जाने हेतु प्रस्ताव।		
मद सं0 09	प्राधिकरण की योजनाओं में सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् सम्पत्ति विवाद ग्रस्त हो जाने पर अथवा निर्माण/विकास के कारण कब्जा देने की स्थिति में न होने पर सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धनराशि की बिना कटौती व बिना ब्याज के वापस किये जाने के सम्बन्ध	बोर्ड के निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

	में।		
मद सं0 10	शासन द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन सम्मिलित कर अनुमोदन के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में भवन उपविधि में संशोधनों को सम्मिलित कर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
मद सं0 11	मेरठ के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत भवन मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया के नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में बागपत एवं खेकडा में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक, मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड के साथ बैठक की गयी। **सहयुक्त नियोजक द्वारा दिये गये सुझावों को सम्मिलित करते हुए <u>प्रस्ताव मद सं0 18</u> पर माननीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।**	111वीं बोर्ड बैठक के मद सं0 18 के अनुसार।
मद सं0 12	मेरठ विकास क्षेत्र का संशोधित मेरठ महायोजना तैयार करने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के आदेश के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु **नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को कार्यदायी संस्था नामित कर दिया गया है।**	अनुपालन आख्या अवलोकित।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0 13	आवासीय भूखण्डों में बहु–आवासीय इकाईयों के निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के आदेश के क्रम में बहुआवास इकाईयों हेतु अध्याय–26 को भवन उपविधि में सम्मिलित कर लिया गया है। तद्नुसार मेरठ विकास प्राधिकरण में प्राप्त मानचित्रों की स्वीकृति की जा रही है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
मद सं0 14	गढमुक्तेश्वर मार्ग के भू–उपयोग के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के आदेश के क्रम में विज्ञप्ति के माध्यम से जनसामान्य को गढ़मुक्तेश्वर मार्ग पर व्यवसायिक क्रिया अनुमन्य किये जाने हेतु सूचित किया गया, जिसके क्रम में अद्यतन तक **प्राधिकरण के समक्ष मात्र एक प्रकरण प्रस्तुत हुआ है, जिसमें जनसामान्य से आपत्ति–सुझाव माँगे गये। तय समय सीमा के अन्दर एक आपत्ति प्राप्त हुई जिसकी सुनवाई कर निस्तारण किया जा चुका है। प्रकरण अन्तिम स्वीकृति की प्रक्रिया में है।**	अनुपालन आख्या अवलोकित।
मद सं0 15	मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा 04नग नये ट्रेक्टर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	माननीय बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में **02 नग ट्रेक्टर क्रय कर लिये गये है।**	अनुपालन आख्या अवलोकित।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0 16	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त फ्लैटस् की कीमत दिनांक 31–03–2019 तक फ्रीज़ किये जाने हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
मद सं0 17	रिट सं0–18896 / 1987 में उच्च न्यायालय के आदेश दिंनाक 11–09–91 के परिप्रेक्ष्य में मै0 जे0 सन्स इंजीनियरिंग कारपोरेशन के गाटा सं0–373, 374 क्षेत्रफल 1–8–1 बीघा स्थित ग्राम कुण्डा तहसील मेरठ में कार्यरत फैक्ट्री को अर्जन से मुक्त करने के सम्बंध में।	प्राधिकरण की 110वीं बोर्ड बैठक दिंनाक 15–02–2018 के मद सख्या–17 पर प्रस्तुत रिट सख्या–18896 / 1987 में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11–09–91 के परिप्रेक्ष्य में मैसर्स जे0 सन्स इंजिनियरिंग कारपोरेशन के गाटा सख्या–373, 374 क्षेत्रफल 1–8–1 बीघा स्थित ग्राम कुण्डा तहसील मेरठ में **कार्यरत फैक्ट्री को अर्जन मुक्त करने सम्बंधी प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु शासन को कार्यालय पत्रांकः भू–अर्जन / –189 दिनांक 27–04–2018 (प्रति सलग्ंन) प्रेषित किया जा चुका है।**	अनुपालन आख्या अवलोकित।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0 18	रिट याचिका सख्या–47447/2015 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09–09–2015 के अनुपालन में श्री कृष्ण गोपाल व मदन गोपाल पुत्रगण श्यामलाल व राजीव कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश की ओर से शताब्दी नगर योजना हेतु अर्जित ग्राम रिठानी स्थित भूमि खाता सख्या–310 के खसरा सख्या–1034, 1035 व 1037 की 2700 (वास्तविक 2447.063) वर्ग मीटर भूमि को अर्जन मुक्त/लैप्स घोषित कराये जाने हेतु शासन के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर चाहे गये प्राधिकरण बोर्ड के अभिमत हेतु आख्या।	प्राधिकरण की 110वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15–02–2018 के मद सख्या–18 पर प्रस्तुत रिट सख्या–47447/2015 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09–09–2015 के अनुपालन में श्री कृष्ण गोपाल व मदन गोपाल पुत्रगण श्यामलाल व राजीव कुमार पुत्र प्रेमप्रकाश की ओर से शताब्दी नगर योजना हेतु अर्जित ग्राम रिठानी स्थित भूमि खाता सख्या–310 के खसरा सख्या–1034, 1035 व 1037 की 2700 (वास्तविक 2447.063) वर्ग मीटर भूमि को अर्जन मुक्त/लैप्स घोषित कराये जाने हेतु शासन के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र पर चाहे गये प्राधिकरण बोर्ड के अभिमत के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन **हेतु शासन को कार्यालय पत्रांकः भू–अर्जन/–182 दिनांक 25–04–2018 (प्रति सलग्न) प्रेषित किया जा चुका है।**	अनुपालन आख्या अवलोकित।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0 19	वादों की पैरवी हेतु तैनात पैरोकारों एवं फोटोस्टेट मशीन को आपरेटिंग का कार्य कर रहे कर्मचारियों को भुगतान किये जा रहे भत्ते की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड के निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
मद सं0 20	मेरठ विकास प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित सेवा के समूह "ग" एवं "घ" के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विनियमितीकरण हेतु नियमावली–2016 को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्देश के अनुपालन में प्रस्ताव मद सं0 06 पर मा0 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।	111वी बोर्ड बैठक के मद सं0 06 के अनुसार।
मद सं0 21	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में विकास प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत देय	मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

	अनुरक्षण शुल्क की धनराशि जमा कराने हेतु नियमावली।		
मद सं0 22	पल्लवपुरम आवासीय योजना में श्री अनिल कुमार धनकड को आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या पी–118 की देयता के सापेक्ष दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की पल्लवपुरम आवासीय योजना फेस–2 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार धनकड को आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या पी–118 के पक्ष में देय रू0 32,087/– पर दिनांक 02–11–2011 से 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हुए देय धनराशि आवंटी को सूचित करने के आदेश दिये गये थे। मा0 प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में आवंटी को पत्र संख्या–3305 दिनांक 13–03–2018 के माध्यम से **रू0 49,990/– दिनांक 31–03–2018 तक जमा कराने हेतु सूचना प्रेषित की जा चुकी है।** परन्तु आवंटी द्वारा धनराशि जमा न कराते हुए आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। प्राधिकरण द्वारा आवंटी की आपत्ति दिनांक 23–05–2018 का निस्तारण करते हुए	अनुपालन आख्या अवलोकित।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

		पत्र संख्या–2610 दिनांक 14–06–2018 के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है।	
मद सं0 23	पल्लवपुरम आवासीय योजना फेस–द्वितीय के भूखण्ड संख्या केपी–11 के स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर, किये गये अनाधिकृत निर्माण के शमन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में आवेदक का **शमन मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया है।**	अनुपालन आख्या अवलोकित।

मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमति से प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव का अनुपालन–

अनुपूरक मद	**विषय**	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश
अनुपूरक मद सं0 01	माननीय न्यायालय आयुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांकः 25.10.2017 के क्रम में मैसर्स अलफहीम मीटैक्स प्रा0लि0, हापुड रोड, मेरठ की भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के	आवेदक द्वारा रोड़ वाईडनिंग में सम्बन्धित निर्माण **आंशिक रूप से हटाया गया है। परन्तु उनके द्वारा ग्रीन बेल्ट में कोई निर्माण नहीं हटाया गया है।** भूमि सम्बन्धी विनियम का भी अंतिम निस्तारण अभी नहीं कराया गया है। अतः बोर्ड में प्रस्ताव वर्तमान में नहीं	अनुपालन आख्या अवलोकित। आवेदक के स्तर पर अनुपालन वाँछित है। स्थल पर सील लगी है। आदेश दिये गये कि अगर आयुक्त न्यायालय के आदेश का अनुपालन आवेदक द्वारा नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

	सम्बन्ध में।	रखा जा रहा है। अनुपालन किये जाने के उपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में वस्तुस्थिति प्रस्तुत की जायेगी।	कराया जाये।
अनुपूरक मद सं0 02	सुपरटैक स्पोर्ट्स सिटी के संशोधित डी.पी.आर. की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये गये, जिसमें अद्यतन तक कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुए है। मा0 बोर्ड के आदेश के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराये जाने हेतु आवेदक को पत्रांक 249 दि0 17-05-2018 सूचित किया गया, जिसके क्रम में आवेदक द्वारा यह अवगत कराया गया कि इण्टीग्रेटेड टाउनशिप के 7.81 एकड भूमि के **भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।** शासन द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह उनको मान्य होगा। आवेदनकर्ता-कम्पनी द्वारा दिनांक 21-07-2018 को प्रस्तुत किये गये पत्र में कहा गया है कि कम्पनी भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के उपरान्त छः माह के अन्तराल में भूमि क्रय	अनुपालन आख्या अवलोकित। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। मा0 बोर्ड द्वारा शासन से निर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

		करके उपलब्ध करा देगी।	
अनुपूरक मद सं0 03	श्री राजकमल फर्नीशिंग्स (पार्टनर श्री प्रदीप बंसल) द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	शमन मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है।	अनुपालन आख्या अवलोकित। अनुपालन हो गया है।
अनुपूरक मद सं0 04	मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना से सम्बंधित किसानों को किये गये अतिरिक्त प्रतिकर/एक्सग्रेसिया की धनराशि दिये जाने सम्बंधी समझौता दिनांक 08–04–2011 के अनुसार डा0 राममनोहर लोहिया नगर, वेदव्यासपुरी, गंगानगर व गंगानगर एक्स0(42एकड) योजना से सम्बंधित किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर/ एक्सग्रेसिया की धनराशि के बदले भूखण्ड दिये जाने	प्राधिकरण की 110वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15–02–2018 के अनुपूरक मद सख्या–04 पर प्रस्तुत मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना से सम्बंधित किसानों को किये गये अतिरिक्त प्रतिकर/एक्सग्रेसिया की धनराशि दिये जाने सम्बंधी समझौता दिनांक 08–04–2011 के अनुसार डा0 राममनोहर लोहिया नगर, वेदव्यासपुरी, गंगानगर व गंगानगर एक्स0 (42एकड) योजना से सम्बंधित किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर/एक्सग्रेसिया की धनराशि के बदले भूखण्ड दिये जाने सम्बंधी समझौते जिसकी परिचालन प्रस्ताव उपरान्त 107वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी, को शासनादेश के क्रम में लागू किये जाने पर विचार	अनुपालन आख्या अवलोकित। अनुपालन किया जा रहा है।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

	सम्बंधी समझौते जिसकी परिचालन प्रस्ताव उपरान्त 107वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–03–2016 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी, को शासनादेश के क्रम में लागू किये जाने पर विचार करने के सम्बंध में।	करते हुए प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में तीनों योजनाओं के कृषकों को समझौते की **शर्तानुसार भुगतान किया जा रहा है तथा भूखण्ड दिये जाने सम्बंधी कार्यवाही गतिमान है।**	
अनुपूरक मद सं0 05	श्री धीर सिंह के प्रार्थना पत्र के निस्तारण करने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन करते हुए आवंटी श्री धीर सिंह के पक्ष में गंगानगर योजना के उच्च आय वर्ग भूखण्ड सं0 बी–279 क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर का दिनांक 14–05–2018 को विक्रय विलेख का पंजीयन कराने के पश्चात् दिनांक 01–06–2018 को भूखण्ड का कब्जा हस्तगत कर दिया गया है। आवंटी द्वारा उक्त के क्रम में मा0 न्यायालय अपर सिविल जज, मेरठ से अपना विविध वाद सं0 50/2009 दिनांक 22–04–2018 को वापस ले लिया गया है।	अनुपालन आख्या अवलोकित। अनुपालन हो गया है।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

111वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12–09–2018 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

मद सं0	विषय	निर्णय
मद सं0 01	वित्तीय वर्ष 2017–18 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 का अनुमोदित आय–व्ययक।	माननीय बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की आय बढ़ाने एवं बाहय् विकास शुल्क के मद में प्रस्तावित रूपये 25.00 करोड़ के स्थान पर 50.00 करोड़ का लक्ष्य रखे जाने के निर्देश दिये गये।
मद सं0 02	उद्योग बन्धु की बैठक दिनांक 08–02–2018 में लिये गये निर्णय के क्रम में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा डा0 राम मनोहर लोहियानगर योजना के पॉकेट एफ में पुलिस चौकी की स्थापना हेतु आरक्षित 114 वर्ग मीटर भूमि के निशुल्क आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं0 03	रक्षापुरम योजना के सेक्टर 4 में 90 वर्ष के रूपये 100/– प्रति माह (रूपये 1200/– वाषिक) के लीज/किराये पर सामुदायिक क्रिया–कलापों हेतु मेरठ स्टेडियम क्लब को आवंटित 1255 वर्ग मीटर के सापेक्ष देय ब्याज की धनराशि में छूट किये जाने विषयक प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0 04	श्री विजय जैन व श्री अरविन्द जैन द्वारा खसरा संख्या 710/2, 715 ग्राम बराल परतापुर, मेरठ पर एम्यूजमेन्ट व वॉटर पार्क के शमन मानचित्र का प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त मेट्रो/आर0आर0टी0एस0 के एलाईनमेन्ट की स्टडी करने तथा विद्युत विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये।
मद सं0 05	प्राधिकरण में पाँच निश्प्रोज्य वाहनों के सापेक्ष विभागीय उपयोग हेतु एक इनोवा एंव तीन बुलैरों वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।
मद सं0 06	मेरठ विकास प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित सेवा के समूह ''ग'' एवं ''घ'' के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विनियमितीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक विभाग–2 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 9/2016/2/1/97/का–2/2016 दिनांक 12 सितम्बर, 2016 के द्वारा प्रख्यापित विनियमितीकरण नियमावली–2016 को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त समिति गठित करने के निर्देश दिये गये कि अन्य प्राधिकरण में की गयी सम्बन्धित कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर आगामी बोर्ड के समक्ष रखे।
मद सं0 07	श्री आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0 08	सबसिडियरी इन्टेलीजेन्स ब्यूरो के पक्ष में गंगानगर योजना के पॉकेट सीपी में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 CP/C-2 क्षेत्रफल 4531.32 वर्ग मीटर का आफिस—कम आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटन का प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त आवंटन हेतु सैद्धान्तिक सहमति, इस निर्देश के साथ दी गयी कि सम्बन्धित पक्ष द्वारा नियमानुसार समय अन्तर्गत धनराशि जमा करने की औपचारिक सहमति दिये जाने के उपरान्त आवंटन की कार्यवाही सम्पादित कर, आवंटन आदेश जारी किया जाये।
मद सं0 09	पल्लवपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैडा, मोदीपुरम, मेरठ कि खसरा नं0 328 की अधिगृहीत भूमि के अवैध काबिजदार श्री कमालुद्दीन पुत्र अब्दुल रज्जाक के पक्ष में विस्थापित श्रेणी के अन्तर्गत प्लाट दिये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
मद सं0 10	गंगानगर योजना के पॉकेट ओ में पुलिस थाना की स्थापना हेतु निशुल्क आवंटित की गयी 2782.12 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का पॉकेट एन में स्थित हैल्थ सेन्टर हेतु आरक्षित 2759.80 वर्ग मी0 में समायोजन का प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गये कि अपर जिलाधिकारी (नगर), पुलिस उपाधीक्षक (नगर) व सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण स्थल का पुनः संयुक्त रूप से निरीक्षण कर लें। सहमति उपरान्त प्रस्ताव पर परिचालन के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0 11	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत पार्कों के विकास एवं हैवी कार्य करने हेतु 01 नग हेवी ट्रेक्टर व अन्य आवश्यक उद्यानीकरण यन्त्रों–ब्रूमर (सड़क सफाई मशीन), Falcon कम्पनी का grass cutter आदि क्रय करने हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद सं0 12	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त गैर आवासीय सम्पत्तियों का "E-AUCTION" पद्धति से निस्तारण हेतु प्रस्ताव।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए "E-AUCTION" एन0आई0सी0 के माध्यम से कराने की सैद्धान्तिक सहमति दी गयी।
मद सं0 13	श्री ओमपाल सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री भगवान दास, श्री सचिन गौतम पुत्र श्री सतपाल गौतम आदि द्वारा ग्राम–रामपुर पावटी, बागपत रोड, मेरठ के भूखण्ड संख्या: 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86 व 87 तथा खसरा संख्या: 253/1 कुल क्षेत्रफल 468.93 वर्ग मी0 पर स्थित ग्रीन वर्ज क्षेत्र में 'पेट्रोल पम्प' स्थापित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सहमति देते हुए नियमानुसार प्रभाव शुल्क प्राप्त कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0 14	मैसर्स एच0एल0बी0 बिल्ड टैक प्रा0लि0 के डायरेक्टर श्री विजय बंसल व अन्य द्वारा एन0एच0–58 ग्राम–जटौली, दिल्ली रूडकी बाई पास रोड, मेरठ पर स्थित ग्रीन वर्ज क्षेत्र में पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सहमति देते हुए नियमानुसार प्रभाव शुल्क प्राप्त कर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।
मद सं0 15	राजस्व ग्राम–हसनपुर कदीम के खसरा संख्याः 148 एवं ग्राम– मुरलीपुर फूल के खसरा संख्याः 81/4 के भू–भाग 13051.70 वर्ग मी0 पर मैसर्स ईमोशन रिसोर्ट इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित होटल कम रिसोर्ट के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि आवेदनकर्ता पर्यटन विभाग में पंजीकृत है अथवा नहीं, का परीक्षण कराकर ही नियमों के आलोक में अग्रिम कार्यवाही की जाये।
मद सं0 16	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण कराये जाने हेतु बराल परतापुर के खसरा सं0 16, 19, 22/2, 23/1 व 25 के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
मद सं0 17	उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त शासनादेश अंगीकार किये गये।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

मद सं0 18	मेरठ के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत भवन मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया के नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर गहन चर्चा की गयी तथा मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया के नीति निर्धारण के लिये यह प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(राज कुमार)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(साहब सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(अनीता सी0 मेश्राम)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।